Govt. Nagarjuna Post Graduate College of Science

(An Autonomous, Model, Lead College)

RAIPUR (C.G.)

Estt. 1948

NAAC Accredited 'B' Grade

PROSPECTUS

2015-16

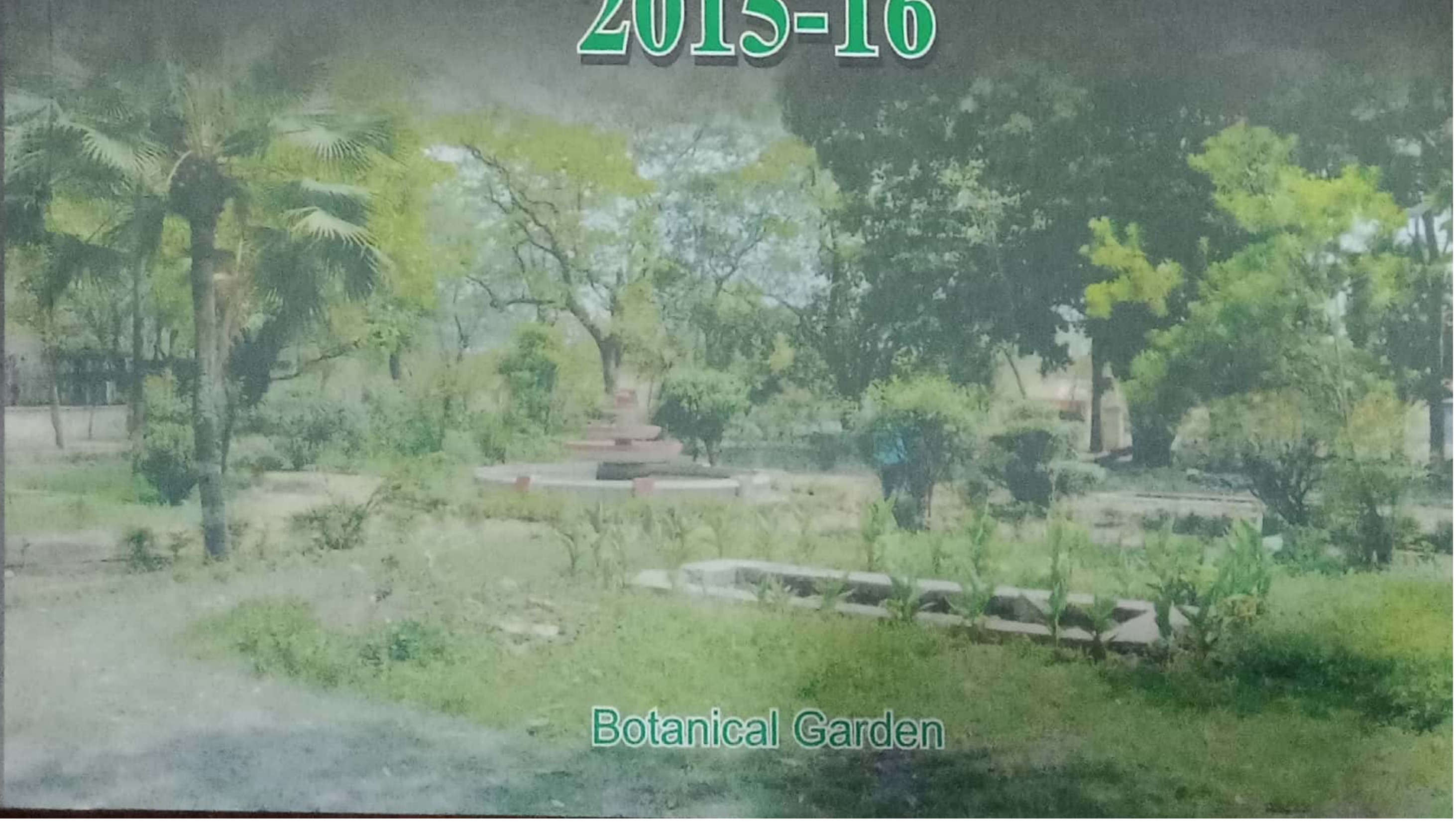

Botanical Garden

Scanned by CamScanner

1. शिक्षण पाठ्यक्रम एवं विषय संयोजन

शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर विज्ञान में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन और अध्ययन की सुविधाओं से संपन्न है। इसका संचालन तथा वित्तीय परिक्षेत्र छत्तीसगढ़ शासन के अधीन है।

यह महाविद्यालय पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से स्वशासी महाविद्यालय (Autonomous College) के रुप में मान्य तथा सम्बद्धता प्राप्त है। राज्य शासन द्वारा आदर्श महाविद्यालय के रुप में अनुमोदित किया गया है। इस महाविद्यालय का **नवीन सत्र 2015-16, 16 जून 2015 को प्रातः 10.30 बजे से प्रारम्भ हो रहा है।**

स्नातक पाठ्यक्रम (Under Graduate Course)

बी. एस-सी. भाग-एक

B.Sc. Part-I

बी. एस-सी. भाग एक में विद्यार्थी को निम्नलिखित विषयों में सम्मिलित होना आवश्यक है।

(अ) अनिवार्य विषय: आधार पाठ्यक्रम (Foundation Course) हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा
पर्यावरण विज्ञान (Environmental Science)

(ब) वैकल्पिक समूह: निम्नलिखित विषयों में से विद्यार्थी एक विषय समूह का चयन कर सकता है जिसमें उसे प्रवेश की अर्हता है—

क्र.	विषय	उपलब्ध स्थान
1.01	गणित, रसायन-विज्ञान, भौतिक-विज्ञान (Mathematics,, Chemistry, Physics)	200
1.02	गणित,भौतिक-विज्ञान, भू-विज्ञान (Mathematics, Physics, Geology)	20
1.03	गणित, भौतिक-विज्ञान, रक्षा अध्ययन (Mathematics, Physics, Defence Studies)	40
1.04	गणित, भौतिक-विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी (Mathematics, Physics, Information Technology)	60
1.05	गणित, भौतिक-विज्ञान, कम्प्यूटर-विज्ञान (Mathematics,, Physics, Computer Science)	60
1.06	रसायन-विज्ञान, प्राणी-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान (Chemistry, Zoology, Botany)	200
1.07	रसायन-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान, भू-विज्ञान (Chemistry, Botany, Geology)	30
1.08	रसायन-विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रक्षा-अध्ययन (Chemistry, Botany, Defence Studies)	30
1.09	रसायन-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान, सूक्ष्म-जीव-विज्ञान (Chemistry, Botany, Microbiology)	40
1.10	रसायन-विज्ञान, वनस्पति, जैव-प्रौद्योगिकी (Chemistry, Botany, Bio-Technology)	30
1.11	रसायन-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान, जैव-रसायन (Chemistry, Botany, Bio-Chemistry)	12
1.12	रसायन-विज्ञान, प्राणी-विज्ञान, जैव-प्रौद्योगिकी (Chemistry, Zoology, Bio-technology)	30
1.13	रसायन-विज्ञान- प्राणी-विज्ञान, जैव-रसायन (Chemistry, Botany, Bio-chemistry)	12
1.14	रसायन-विज्ञान, प्राणी-विज्ञान, भू-विज्ञान (Chemistry, Zoology, Geology)	30
1.15	रसायन-विज्ञान, प्राणी-विज्ञान, रक्षा-अध्ययन (Chemistry, Zoology, Defence studies)	30
1.16	बी.सी.ए. (समस्त निर्धारित विषय) स्ववित्तीय आधार पर	30

Scanned by CamScanner

2. प्रवेश मार्गदर्शक सिद्धांत

(नोट :- छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर संशोधित प्रवेश नियम लागू होंगे ।)

.0 **प्रयुक्ति**–ये मार्गदर्शक सिद्धांत छ. ग. के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत् अध्यादेश क्रमांक 6 व 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

.0 **प्रवेश की तिथि**– शासन द्वारा घोषित की जावेगी।

.1 **प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना—**

महाविद्यालय में प्रवेश के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण-पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जाएगी। बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंक सूची प्रदान न

Scanned by CamScanner

5. अनुशासन

(A) परिचय पत्र

महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को परिचय पत्र रखना आवश्यक है सभी सम्मेलन अथवा महाविद्यालय कार्यक्रम के कार्य व्यापार के समय यह परिचय पत्र विद्यार्थी के पास होना चाहिये। परिचय पत्र के पीछे छपी सूचनाओं का पालन क आवश्यक है। जो विद्यार्थी परिचय पत्र विहीन पाये जायेंगे उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(B) कक्षाओं में उपस्थिति

(1) वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अप कक्षाओं में प्राप्त करनी होगी अन्यथा उन्हें परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी। 75 प्रतिशत उपस्थिति एन.सी.सी. त एन.एस.एस. के लिए भी आवश्यक है। वि.वि.कार्यपरिषद ने विद्या परिषद द्वारा अपनी बैठक में की गई निम्नलिखि संस्तुतियाँ स्वीकृत कर निर्णय लिया है कि अध्यादेश की कंडिका 13 के अंतिम पैरा के बदले निम्नानुसार पैरा र जाय–

Scanned by CamScanner

Provided, also students of College representing in College or University in the recognised tournaments and extracurricular activies should be treated as present in Classes during period of journey and participation in the tournmament & extracuricular activites and should be given attendance of all classes, theory and practical, held during this period.

उपरोक्तानुसार प्रभारी प्राध्यापक से संस्तुति प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा विद्यार्थी उपस्थिति प्राप्ति के हकदार नहीं होंगे।

(2) जो विद्यार्थी किसी कारण से छुट्टी लेना चाहते हों अपना आवेदन समय से पूर्व प्रस्तुत करें जो उनके अभिभावक के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। जो विद्यार्थी बिना आज्ञा के अनुपस्थित रहेंगे उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाई होगी।

(C) छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण-संहिता

सामान्य नियम—

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दंडात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

01. विद्यार्थी महाविद्यालय में शालीन वेशभूषा में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
02. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण समय अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों मे भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
03. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन रहेगा, अभद्र व्यवहार/असंसदीय भाषा का प्रयोग/गाली-गलौच/मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग/ प्रदर्शन नहीं करेगा।
04. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों से नम्रता एवं भद्रता पूर्वक व्यवहार/आचरण करेगा।
05. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्त्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
06. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वदा वर्जित करेगा।
07. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
08. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन/हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों/कार्यकर्ताओं/समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
09. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

अध्ययन सम्बन्धी नियम—

01. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
02. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से नहीं लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
03. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए व शिक्षकों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
04. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, फर्नीचर इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़-फोड़ करना दंडात्मक आचरण माना जाएगा।

Scanned by CamScanner

परीक्षा सम्बन्धी नियम—

01. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

02. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।

03. परीक्षा में या उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जाएगा।

(D) महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

01. यदि छात्र किसी अनैतिक गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

02. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक के कारावास की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

03. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा।

04. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र या आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा। महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। यह हस्ताक्षर यथा संभव प्रवेश समिति के सम्मुख किया जाना चाहिए।

05. स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने के पश्चात् (जब विद्यार्थी महाविद्यालय छोड़ रहा होगा) अमानती राशि उसे वापस कर दी जायेगी। इस निधि की वापसी के समय विद्यार्थी को संबंधित रसीद प्रस्तुत करनी होगी। यदि छात्रावास की अमानती राशि एक वर्ष तक नहीं ली जायेगी तो वह उसके पश्चात् राजसात समझी जायेगी।

06. उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अधीन इस विवरण पत्रिका के किसी भी नियम/उपनियम अथवा किसी भी अधिनियम में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है प्राचार्य द्वारा विज्ञापित तथा प्रसारित सभी आदेश और निर्देश विद्यार्थियों पर समान रूप से अनिवार्यतः लागू होंगे।

(E) रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध

महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में रैगिंग जैसे घृणित एवं अमानवीय कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध हैं। रैगिंग में लिप्त पाये जाने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। इसके अंतर्गत अपराधिक प्रकरण में गिरफ्तारी/जुर्माना (या दोनों) तथा महाविद्यालय और छात्रावास से निष्कासन एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर रोक लगाई जायेगी।

Scanned by CamScanner

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्र. 27 सन् 2001) के महत्वपूर्ण बिन्दु

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना का प्रतिषेध

- रैगिंग एक दंडनीय अपराध है।
- रैगिंग मानवीय मूल्यों का हनन है।
- रैगिंग में निम्नलिखित का समावेश है : -
- मजाकपूर्ण व्यवहार
- किसी बात के लिये बाध्य करना
- व्यक्तित्व [illegible] मान या उपहास
- दोषपूर्ण [illegible]
- दोषपूर्ण परिरोध
- क्षति या आपराधिक बल का प्रयोग
- आपराधिक धमकी
- विद्यार्थी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

रैगिंग के लिए दंड

5 वर्ष का कारावास, रु. 5000 जुर्माना अथवा एक साथ दोनों प्रकार के दंड

(F) शिकायत पेटी की व्यवस्था

महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष के सामने शिकायत पेटी रखी गई है। इसमें निम्नलिखित विषयों से संबंधित, वास्तविक शिकायत कोई भी विद्यार्थी अपने नाम से अथवा बिना नाम से डाल सकता है।

1. महाविद्यालय अथवा छात्रावास में रैगिंग गतिविधि/अशांति उत्पन्न करने वाला कोई कार्य अनुशासनहीनता, पीने के पानी एवं सफाई विषयक।
2. कक्षाओं में फर्नीचर, विद्युत उपकरण, ब्लैकबोर्ड आदि विषयक।
3. संरक्षित निधि, छात्रवृत्ति, अन्य प्रमाण पत्र विषयक।
4. किसी कक्षा/वर्ग में अध्यापन नहीं होने विषयक एवं परीक्षा प्रकोष्ठ की कार्यप्रणाली विषयक।
5. महाविद्यालय में कार्यालय की कार्य प्रणाली विषयक ऐसे सुझाव भी इस पेटी में डाले जा सकते हैं जो महाविद्यालय की कार्यप्रणाली में सकारात्मक सुधार लाये।

Scanned by CamScanner

8. उपलब्ध सुविधायें

(A) छात्रावास

म विवरण :- महाविद्यालय में छात्रों के लिए कुल 3 छात्रावास जिनमें प्रत्येक की क्षमता 50 छात्रों की है। एवं एक छात्रावास जिसकी क्षमता 30 छात्रों की है उपलब्ध है।

ात्रावास में प्रवेश

i. छात्रावास में प्रवेश प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में भरकर छात्रावास मेनेजर/अधीक्षक के पास प्रस्तुत करना चाहिए।

ii. छात्रावास में प्रवेश केवल एक ही शैक्षणिक सत्र के लिए दिया जाता है। अतएव प्रत्येक सत्र के आरम्भ में नवीन आवेदन करना चाहिए।

iii. छात्रावास में प्रवेश प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को मेस प्रतिभूति राशि रु. 4000/- अग्रिम छात्रावास के अधीक्षक (वार्डन) के पास जमा कराना होगा। अन्य देय शुल्क महाविद्यालय के लेखापाल के पास जमा करना होगा। इसमें विद्युत शुल्क की राशि भी शामिल होगी।

iv. छात्रावास के प्रिफेक्ट को कमरे का किराया नहीं देना होगा किन्तु यह सुविधा केवल एक सत्र के लिए ही प्रिफेक्ट को प्राप्त होगी।

) छात्रावास संबंधी नियम

छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी बिजली के बल्ब/ट्यूब लाईट स्वयं लायेंगे और जितनी भी बिजली व्यय होगी सम्मिलित रूप से पूरा का पूरा वे ही वहन करेंगे।

i. प्रत्येक विद्या[illegible] को जो छात्रावास में रहता हो छात्रावास के भोजन में सम्मिलित होना पड़ेगा भोजनालय में केवल नियमित भोजन तैया[illegible]या जाएगा। व्यक्तिगत भोज की आज्ञा नहीं मिलेगी।

ii. मास की [illegible] 11 वीं तारीख तक भोजनालय का व्यय अधीक्षक के पास विद्यार्थी द्वारा जमा करा दिया जायेगा।

iv. अधीक्षक [illegible] आज्ञा के बिना अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

v. अधीक्ष[illegible] अनुमति के बिना कोई छात्र अपने कमरे में एक दिन के लिए भी अपने किसी मेहमान को नहीं रोक सकता।

vi. बल्ब [illegible] ों के अतिरिक्त [illegible]ी भी बिजली के उपकरण का प्रयोग वर्जित है। पकड़े जाने पर आर्थिक दंड अथवा छात्राव[illegible] निष्कासन या [illegible] किया जा सकता है।

vii. बरामदे [illegible] शौचालयों में लगा ट्यूब अथवा बल्ब की चोरी की स्थिति में सभी छात्रावासियों से उसकी कीमत समान अनुपा[illegible] वसूली जावेगी।

viii. छात्रा[illegible] में आने वाली समस्त मैग्जीन एवं समाचार पत्र, पुस्तकालय प्रभारी छात्र की देखरेख में रखा जायेगा।

ix. छात्रावास के किसी कर्मचारी को किसी भी छात्रावासी द्वारा बाहर भेजना दंडनीय है। छात्रावास के बाहर का कार्य छात्रावासियों को स्वयं करना होगा।

x. रात्रि 9.00 बजे के बाद किसी भी छात्र को छात्रावास के बाहर जाने की अनुमति नहीं है। आवश्यकतानुसार अधीक्षक की अनुमति प्राप्त कर बाहर जाया जा सकेगा।

xi. विद्युत बिल के भुगतान हेतु प्रत्येक छात्रावासी एक मुश्त 3000/-रुपये प्रवेश के समय अन्य शुल्क के साथ लेखापाल के पास जमा करेंगे। इसी जमा राशि से छात्रावास को प्रत्येक माह का विद्युत शुल्क महाविद्यालय द्वारा देय होगा। जमा राशि से अधिक विद्युत बिल हो जाने पर शेष राशि छात्रावासी को जमा करनी होगी।

xii. छात्रावास में टूट-फूट इत्यादि का कुल व्यय प्रत्येक छात्रावासी से समान अर्थदंड के रूप में वसूला जायेगा।

xiii. मेस प्रतिभूति राशि (रु.4000/-) छात्र को छात्रावास छोड़ते समय सभी ड्यूस काट कर वापस कर दिया जावेगा।

Scanned by CamScanner